यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चम्पावत के माह 06/2015 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर सहायक, लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री खुशी राम वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 08-03-2018 से 13-03-2018 तक श्री दनिश इकबाल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अश्विनी पांडे, AAO एवं श्री अजय कुमार सचान AAO तथा विजय कुमार वरिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा 20/06/2015 से 24/06/2015 तक श्री दानिश इकबाल Sr॰ A॰O॰ के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था । जिसमें माह 04/2012 से 05/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

(अ- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चम्पावत अक्रियाशील इकाई है।

(आ-) ब- प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चम्पावत का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र SAD चलथी, स्वला, सिप्ति, धौन, तथा addl। phc तमली, मानक, बनबासा है।

अ -विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः (धनराशि रू॰ लाख)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `(समर्पण)
	स्थापना `	गैर स्थापना	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	00	00	499.80	456.12	72	72	00	43.68
2016-17	00	00	552.23	471.0	00	00	00	80.53
2017-18 (Up to Feb. 2017	00	00	552.36	464.01	00	00	00	88.34

ब (केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	00	00	00	00	00	00
2016-17	00	00	00	00	00	00
2017-02/2018	00	00	00	00	00	00

(ii) इकाई को बजट प्राप्ति के मुख्य स्त्रोत राज्य सरकार है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. प्रमुख सचिव .2 सचिव.3 महा निदेशक 4 निदेशक 5 अपर निदे मुख्य चिकित्सा अधिकारी.6 मुख्य चिकित्सा अधीक्षक 7. चिकित्साधिक्षक .8 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी .9 चिकित्साधिकारी 10 प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
2. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2017 व 09/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि के आधार पर किया गया।
3. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के) कर्तव्य ,शक्तियां तथा सेवा की शर्ते (अधिनियम) 1971 ,डी पी सी एक्ट , (1971की धारा ,13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो-(ब)</u>

प्रस्तर 1- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का पर्णतः उपयोग नहीं किया जाना।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक केंद्र चम्पावत के अवधि 06/2015 से 02/2018 तक के लेखा अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे यह तथ्य संज्ञान मे आया कि सामुदायिक स्वास्थ केंद्र चंपावत के भवन मे, मुख्य चिकित्साधिकारी चंपावत एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ मिशन का कार्यालय संचालित किया जा रहा था, स्वास्थ केंद्र मे चिकित्सकीय कार्य संपादित नहीं हो रहा था, जबकि उक्त सामुदायिक स्वास्थ केंद्र चंपावत ब्लाक का मुख्य स्वास्थ केंद्र था। सामुदायिक स्वास्थ केंद्र का भवन एक सुव्यवस्थित व भव्य चिकित्सालय भवन है तथा उक्त चिकित्सालय के आस पास आबादी भी बहुत ज़्यादा है उसके बाद भी उक्त भवन मे विभिन्न कार्यालय का संचालित होना तथा चिकित्सकीय कार्य का संचालित नहीं होने का कोई स्पष्ट आधार नहीं था।

सामुदायिक स्वास्थ केंद्र चंपावत के मानव संसाधन प्रबंधन से सम्बन्धी लेखा अभिलेखो की जांच मे यह भी पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मे कुल 66 (चिकित्सक, पैरा-मेडिकल स्टाफ तथा लिपिकी वर्ग के क्रमचारी) अधिकारियों एवं क्रमचारियों की तैनाती थी जिसमे अधिकांश चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ विभिन्न अन्य संस्थानो से संबद्ध थे, (विवरण संलगन)।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंपावत के पत्र दिनांक 09.01.2017 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड से सामुदायिक स्वास्थ केंद्र मे तैनात चिकित्सको को अन्यत्र समायोजित करने के लिए इस आधार पर अनुरोध किया गया था की चंपावत मे जिला चिकित्सालय के खुल जाने के कारण स्वास्थ केंद्र मे क्लीनिकल कार्य नहीं हो रहा है, परंतु संप्रेक्षा तिथि तक स्थिति यथावत थी। इस प्रकार बिना किसी शासनादेश के सामुदायिक स्वास्थ केंद्र चम्पावत मे चिकित्सकीय कार्य बंद कर दिया गया और स्वास्थ केंद्र मे तैनात चिकित्सको को जिला चिकित्सालय से संबद्ध कर दिया गया था जबकि उनके वेतन एवं भत्तो का आहरण सामुदायिक स्वास्थ केंद्र चंपावत से ही किया जा रहा था।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभागीय उदासीनता एवं अनुश्रवन के अभाव मे सामुदायिक स्वास्थ केंद्र चम्पावत का भवन का अपने निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था, स्वास्थ केंद्र से होने वाले लाभ से स्थानीय जनता वंचित थी जो की जनहित की हानि थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित करने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर मे बताया गया कि चिकित्सीय कार्य के रूप मे वाह्य रोगी देखे जाते है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना उचित शासन आदेश के स्टाफ को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया जिसके कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंपावत का निर्धारित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं हो पा रहा था और स्थानीय जनता केंद्र से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ से वंचित थी।

अतः प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग **-III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
43/2015-16	1	1	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
45/2015-16	----------	अप्रस्तुत --------		

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।
2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या ।

3. सतत् अनियमितताए

(i) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्र. सं.	नाम	पद नाम	अवधि
1	डा॰ रश्मि पंत	**MOIC**	06/2015 से 04.09.2016
2	डॉ॰ के॰सी॰ ठाकुर	**MOIC**	05.09.2016 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि वह इस पत्र की अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दे।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.